न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 06, मथुरा

क्रि०मि०सं०–977/2025

राज्य बनाम लक्षमण आदि

धारा–323, 504, 506, 376 भा०दं०सं०

थाना–शेरगढ़, जिला मथुरा

<u>दिनांक–14.03.2023</u>

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।

माननीय उच्च न्यायालय में क्रि०अपील सं० 9904/2025 लक्षमण आदि बनाम उ०प्र०राज्य में पारित आदेश दिनांक–17.11.2025 एवं क्रि०अपील सं०–11635/2025 धन्नो बनाम उ०प्र०राज्य में पारित आदेश दिनांकित–15.12.2025 से अपील के लम्बित अवस्था में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के माध्यम से अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक–12.12.2025 व 19.12.2025 को पारित किया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा अपने जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये तथा अधिरोपित जुर्माने की आधी–आधी धनराशि जमानत की गयी तथा आधी–आधी धनराशि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित है। जमानत प्रपत्रों की छायाप्रतियां माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अपील की पत्रावली में रखे जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, कार्यालय मथुरा से पत्रांक– 524 XV दिनांक–26.02.2026 व पत्रांक–592 XV दिनांक–10.03.2026 से प्रेषित किये जा चुके है।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा जुर्माने की आधी–आधी धनराशि जमा की जा चुकी है शेष आधी–आधी धनराशि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित है। पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब अपील का निस्तारण किया जायेगा तब उस दशा में आवश्यकता होने पर अभिलेखागार से पत्रावली तलब कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तद्नुसार पत्रावली लाल स्याही से इस तथ्य के अंकन के साथ, कि विनिष्ट न किये जाने योग्य पत्रावली दाखिल अभिलेखागार किये जाने योग्य है।

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–06, मथुरा
ID UP2653

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.03.16 10:20:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court